

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, डूंगरपुर

मिसल नं० 748

अन्तर्गत धारा 111-128 आरटीए

निर्णय दिनांक- 03-07-18

:: निर्णय ::

प्रार्थी श्री खुला पि० पेम्मी कुम्हार

जति कुम्हार उम्र 30 नि० कोलखंडा खात

तहसील डूंगरपुर ने न्याय आपके द्वार अभियान 2018 लोक अदाकार कोलखंडा खात दिनांक 03-07-18 को इस आशय का एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 लेटर/एक्ट के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया की मौजा कोलखंडा खात में स्थित खाता संख्या 167 पर आराजी नं० 2481

कुल 3 बीघा, 3 बिस्वा कित्ता 1 योग रकबा 3 बिस्वा पर प्रार्थी मालिक काबिज होकर कृषि कास्त करता आ रहा है और अप्रार्थीगण से आये दिन सीमा (हेंडे, पारी) की बात को लेकर विवाद होता है। करते है और लडाई झगडा करते है। इस वजह से प्रार्थी अपनी उक्त आराजी पर पत्थरगडी कराना चाहता है। पिल पर प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। उक्त प्रार्थना पत्र के साथ अप्रार्थी हिरा गाय प्रसाद नि० कोलखंडा खात ने भी पत्थरगडी करने की सहमति दी है। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के साथ कोलखंडा खात के खसरा नं० 2482 रकबा 10 बिघा 10 बिस्वा कुल कित्ता 1 योग रकबा 10 बिस्वा की जमाबंदी सम्बन्ध की प्रस्तावित प्रति भी संलग्न की है।

पत्रावली का गहन अवलोकन किया गया। पत्रावली पर प्रार्थी द्वारा नक्सा ड्रेट एवं जमाबंदी प्रस्तुत की गई जिसके अनुसार प्रार्थी खातेदार कास्तकार है और विपक्षीगणों द्वारा किसी प्रकार का कोई विरोध नहीं किया गया एवं सहमति प्रदान की गई है। इस प्रकार मौजा कोलखंडा खात में स्थित खाता संख्या 167 पर आराजी नं० 2481 रकबा 3 बिस्वा कुल कित्ता 1 कुल रकबा 3 बिस्वा की पत्थर गडी कराने का हकदार है।

लिहाजा मौजा कोलखंडा खात में स्थित खाता संख्या 167 पर आराजी नं० 2481 रकबा 3 बिस्वा कुल कित्ता 1 कुल रकबा 3 बिस्वा विवादप्रस्त आराजी की पत्थरगडी किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदा, डूंगरपुर भू0अ0 निरीक्षक पुनार्प के नेतृत्व में टीम गठित कर बिना किसी अन्य खातेदार के खाते को डिस्टर्ब किये पत्थर गडी की जावे। तहसीलदार, डूंगरपुर को तहरीर जारी हो पत्थरगडी शुल्क रु० 600/- प्रार्थी स्वयं राजकोष में जमा करवे सभी पत्थरगडी की जावे। पत्रावली फँसल में शुमार होकर नम्बर से कम हो।


उपखण्ड अधिकारी
डूंगरपुर